राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

अति आवश्यक
बाढ़

पत्रांक : SHSB/PM/526/2018/Part-II/3122

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर

पटना, दिनांक 23/09/2024

विषयः वर्ष 2024 के बाढ़ तथा उससे उत्पन्न जलजनित रोग/महामारी की रोकथाम हेतु चिकित्सकीय प्रबंधन एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-333(11) दिनांक 18.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में बाढ़ एवं इससे उत्पन्न स्थिति के कारण जानमाल की क्षति के अलावे जलजनित रोग/महामारी फैलने की संभावना के मद्देनजर उसके रोकथाम हेतु पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, ताकि जल जनित बीमारियों एवं आकस्मिकता/आपात की स्थिति में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों का समुचित उपचार ससमय किया जा सके। स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-333(11) दिनांक 18.06.2024 द्वारा **बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित महामारी की रोक-थाम की तैयारियों हेतु अनुदेश** निर्गत किये गये है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ प्रवण जिलों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 848/आ.प्र. दिनांक 20.03.2024 द्वारा सभी जिलों को **बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating Procedure)** भेजी गयी है।

2. उक्त के आलोक में जिलों में बाढ़ एवं इससे उत्पन्न जलजनित बीमारियों/अतिसार आदि की रोकथाम हेतु EDL में निहित आवश्यक औषधियों/MedicalDevices/Consumables की सांकेतिक सूची पत्र के साथ संलग्न है। औषधियों की सांकेतिक सूची की सिविल सर्जन स्वयं के स्तर से समीक्षा कर लेंगे एवं आवश्यकतानुरूप EDL में निहित औषधियों का ही स्वास्थ्य संस्थानों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-333(11) दिनांक 18.06.2024 की कंडिका ('च'-दवाओं की उपलब्धता) के आलोक में उक्त औषधियों/Medical Devices/Consumables की खपत का नियमानुसार आकलन कर जिला औषधि भंडार में Buffer Stock भी संधारित किया जाय।

3. बाढ़ के मद्देनजर निम्नांकित मुख्य औषधियों/सामग्रियों का जिला औषधि भंडार एवं बाढ़ प्रभावित प्रत्येक प्रखण्ड में उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय-

क्र० सं०	औषधियों/सामग्रियों का नाम	जिला औषधि भंडार हेतु BufferStock	बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों में उपलब्धता
1	ASVS (Snake Venom Antiserum)	1000 vials	50 vials
2	ARV (Anti Rabies Vaccine)	750 vials	30 vials
3	ORS Packet	50000	10000
4	Zinc Tablet	30000	3000
5	NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate)	50000	10000
6	Bleaching Powder	500 bags	25 bags
7	Lime	1500 bags	75 bags

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना – 800 014
दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : http://shs.bihar.gov.in

4. इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से उत्पन्न जल जमाव से प्रभावित व्यक्तियों को आपातस्थिति में त्वरित प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किये जाने वाले फूड पैकेट (राहत पैकेट) के साथ निम्नांकित औषधियों को भी औषधि किट के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चत किया जाय।** ***यह ध्यानगत रखा जाय कि फूड पैकेट के साथ औषधि किट उन्हीं जिलों में वितरित की जाए, जहाँ बाढ़ की विभिषिका अधिक होने पर आपातस्थिति में इसकी आवश्यकता हो-***

क्र० सं०	औषधियों का नाम	किट में औषधियों की मात्रा
1	ORS	05 Sachets
2	Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet	30 Tablets
3	Domperidone Tablet 10 mg	01 Strip (10 Tablets)
4	Miconazole Nitrate Cream 2% w/w	01 Tube
5	Paracetamol Tablet 500mg	01 Strip (10 Tablets)

5. उपर्युक्त कंडिका-4 की तालिका में वर्णित **औषधियों के उपयोग करने की स्पष्ट विधि भी एक पर्ची पर अंकित कर उसी औषधि किट में डाल दिया जाय, ताकि उपयोगकर्त्ता व्यक्ति/परिवार को उक्त औषधियों का उपयोग करने में कोई कठिनाई अथवा संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाए।** उक्त पर होने वाले व्यय का वहन स्वास्थ्य विभागीय दवा आपूर्ति मद/NHM की निधि से किया जाएगा।

6. उपरांकित तालिकाओं में वर्णित जिन आवश्यक औषधियों/सामग्रियों का दर अनुबंध BMSICL द्वारा नहीं किया गया है, उन औषधियों की आवश्यकता का आकलन सिविल सर्जन जिलास्तर पर चिकित्सकों का एक समिति गठित करते हुये कर लें और तदनुसार आवश्यकता आधारित क्रय स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-333(11) दिनांक 18.06.2024 की कंडिका ('च'-दवाओं की उपलब्धता) में निर्धारित व्यवस्था के आलोक में BMSICL से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए विहित प्रक्रियानुसार स्थानीय स्तर पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली एवं अद्यतन विभागीय क्रय अनुदेशों का पालन करते हुये किया जाय।

7. बाढ़ से संबंधित अन्य औषधियाँ तथा Bleaching Powder एवं Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet की जिलान्तर्गत आवश्यकता का आकलन सिविल सर्जन के स्तर से करते हुये इसकी आपूर्ति हेतु BMSICL को **पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर** अधियाचना भेजना सुनिश्चित किया जाय। BMSICL द्वारा Bleaching Powder एवं NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet की आपूर्ति जिलों को किया जा रहा है।

8. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव सामग्रियों का भंडारण, वितरण एवं उनके उपयोग संबंधी आवश्यक प्रबंध तथा इसकी निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य निम्नवत् सम्पादित कराया जाय-

(क) सभी सिविल सर्जन अपने क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों/पंचायतों के आधार पर Bleaching Powder एवं चूना (Lime) की खपत का आकलन करेंगे। उक्त सामग्रियों का वितरण संबंधित प्रखण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से क्षेत्र की ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र आदि का दल गठित कर उन्हें हस्तगत कराया जाय एवं इन सामग्रियों का प्राप्ति रसीद भी उनसे लिया जाय।

(ख) छिड़काव कार्य की निगरानी हेतु गठित समिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र की ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र के अतिरिक्त वर्तमान मुखिया/सभी वार्ड सदस्य शामिल होंगे, जिसमें ए०एन०एम०/आशा फैसिलिटेटर सदस्य

सचिव होंगी एवं उनके द्वारा एतद संबंधी पंजी (लॉग-बुक) में तिथिवार सूचनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित कराई जाएगी। संबंधित क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि छिड़काव हेतु पंचायतवार पंजी (लॉग बुक) का संधारण निम्नवत् कराया जाएगा-

पंजी का बाँया पृष्ठ

क्र० सं०	ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा	प्राप्ति की तिथि	चूना (Lime) की मात्रा	प्राप्ति की तिथि	प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

पंजी का दाँया पृष्ठ

पंचायत / प्रखण्ड का नाम	छिड़काव स्थल (टोला/ मुहल्ला का नाम)	छिड़काव की तिथि	उपयोग में लाये गये ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा	उपयोग में लाये गये चूना (Lime)की मात्रा	जनप्रतिनिधि का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/ विकास मित्र का नाम एवं हस्ताक्षर

(ग) इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 240, दिनांक 02.09.2016 द्वारा निर्गमित परिपूर्ण (Exhaustive) दिशा-निदेश का अनुसरण किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।

9. जिलान्तर्गत विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं जिला औषधि भंडार में भंडारित/उपलब्ध औषधियों/Medical Devices/Consumables का सक्षम पदाधिकारियों का एक दल (जिसमें जिला औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक एवं संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक को अवश्य रखा जाय) गठित करते हुए भौतिक सत्यापन करा लिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाए कि जिलान्तर्गत किसी भी संस्थान में **तिथिवाद एवं अवमानक स्तर की औषधियों का भंडारण नहीं हो। औषधियों/Medical Devices/Consumables के अवसान तिथि की गहन समीक्षा कर ली जाए तथा किसी भी परिस्थिति में इन औषधियों का उपयोग/वितरण नहीं किया जाय। उक्त निदेश के उल्लंघन अथवा अननुपालन की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे एवं उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।**

10. आवश्यक औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों के भंडारण एवं वितरण तथा खपत से संबंधित सूचनाओं को प्रतिदिन DVDMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन (Update) किया जाय।

11. अतः अनुरोध है कि उक्त निदेशों का तत्परता एवं दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को ई-मेलः **ssobihar@gmail.com, aoshsbihar@gmail.com** एवं **drugcell@gmail.com** पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

Suharshe 22/08/24

(सुहर्ष भगत)

ज्ञापांक : SHSB/PM/526/2018/Part-II/...3122....पटना, दिनांक: 23/08/2024

प्रतिलिपिः

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- जिला पदाधिकारी- बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, तिरहुत, पटना, सारण, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित)/श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक, औषधि-सह-नोडल पदाधिकारी DVDMS/ स्टेट इपीडेमोलॉजिस्ट, IDSP, राज्य स्वा० समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वा० समिति बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अपर निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। निदेश है कि सभी जिलों के सिविल सर्जन से समन्वय कर उपरांकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए एवं राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी से नियमित रूप से संपर्क कर विहित प्रपत्रों में जिलों से वांछित सूचनायें प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जाए।

23/09/24

कार्यपालक निदेशक

बाढ़ से संबंधित आवश्यक औषधियों/युक्तियों की सांकेतिक सूची

Sl. No.	Name of the Drug/Medical Devices/Consumables	EDL Status	BMSICL Rate Contract Status
1	A.D. Syringe	EDL	RC
2	Adhesive Tape	EDL	RC
3	Adrenaline Injection	EDL	RC
4	Albendazole Tablet	EDL	RC
5	Alcohol Swab	EDL	Non RC
6	Amikacin Injection	EDL	RC
7	Amoxycillin+ Clavulanic Acid Oral Liquid/Tablet	EDL	RC
8	Azithromycin Tablet/Syrup	EDL	RC
9	Bandage	EDL	RC
10	Betamethasone Dipropionate Cream	EDL	RC
11	Bleaching Powder	EDL	RC
12	Cefixime Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
13	Ceftriaxone injection	EDL	RC
14	Chloramphenicol Ointment	EDL	RC
15	Chloroquine Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
16	Chlorpheniramin Tablet	EDL	Non RC
17	Ciprofloxacin Tablet/Injection/Drops	EDL	RC
18	Compound Sodium Lactate (Ringer Lactate) Injection	EDL	RC
19	Cotton	EDL	RC
20	Dexamethasone Tablet/Injection	EDL	Non RC
21	Dextrose + Sodium Chloride Injection	EDL	RC
22	Dextrose Injection	EDL	RC
23	Diclofenac Sodium Tablet/Gel/Injection	EDL	RC
24	Dicyclomine Hydrochloride Tablet/Drop/Oral Liquid/Injection	EDL	RC
25	Domperidone Tablet/Drop/Oral Liquid	EDL	Non RC
26	Dried Aluminium hydroxide+Magnesium hydroxide+activated dimethicone (Antacid) Oral Liquid	EDL	RC
27	Hydrocortisone Sodium Injection/Cream/Gel/Oint	EDL	RC
28	Ibuprofen Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
29	Isosorbide dinitrate	EDL	RC
30	IV Canula	EDL	RC
31	IV Set (Adult, Paediatric & Micro)	EDL	RC
32	Levocetirizine Dihydrochloride Oral Liquid/Tablet	EDL	RC
33	Levofloxacin Tablet/Injection	EDL	RC
34	Levo-Salbutamol Tablet	EDL	RC
35	Metoclopramide Injection	EDL	Non RC

4.7.2023 4.7.23 04/07/23 04.07.23 04.7.23 4/7/23

Sl. No.	Name of the Drug/Medical Devices/Consumables	EDL Status	BMSICL Rate Contract Status
36	Metronidazole Tablets/Injection/Suspension	EDL	RC
37	Miconazole Nitrate Cream	EDL	RC
38	Moxifloxacin Eye Drop	EDL	RC
39	Mupirocin Ointment	EDL	Non RC
40	NaDCC Tablet	EDL	RC
41	Normal Saline Nasal Drop	EDL	Non RC
42	Ofloxacin Tablet	EDL	Non RC
43	Ondansetron Tablet/Injection	EDL	RC
44	Oral Rehydration Salts (ORS)	EDL	RC
45	Pantoprazole Tablet/Injection	EDL	RC
46	Paracetamol Tablet/Injection/Oral Liquid/Drop	EDL	RC
47	Permethrin Lotion/Cream	EDL	RC
48	Pheniramine Maleate Injection	EDL	RC
49	Povidone Iodine/solution/Ointment	EDL	RC
50	Rabeprazole Sodium Tablet/Injection	EDL	RC
51	Rabies immunoglobulin Injection	EDL	RC
52	Rabies Vaccine Human (ARV) Injection	EDL	RC
53	Scorpion Venom Antiserum	EDL	Non RC
54	Snake Venom Antiserum (ASVS) Lyophilized Polyvalent	EDL	RC
55	Sodium Chloride (Normal Saline) Injection	EDL	RC
56	Sodium Chloride Infusion	EDL	RC
57	Sulphadoxine+Pyrimethamine Tablet	EDL	RC
58	Surgical Gloves	EDL	RC
59	Tetanus Vaccine (Adsorbed) Injection	EDL	RC
60	Tranexamic Acid Tablet/Injection	EDL	RC
61	Water for Injection	EDL	RC
62	Zinc Sulphate Tablet/Oral Solution	EDL	RC

4.7.2023
(आलोक कुमार)
PCM Expert

4.7.23
(मनीष रंजन)
सहायक निदेशक, औषधि

04/07/23
(डा० अभिषेक कु० सिन्हा)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, HSS

4/7/23
(उत्तम कुमार सिंह)
सहायक औषधि नियंत्रक

04.07.23
(राकेश नंदन सिंह)
सहायक औषधि नियंत्रक

04/7/23
(मृत्युंजय कुमार)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-
प्रभारी प्रोक्योरमेंट

संoसंo–11 / आ0प्र0(विविध)–01 / 2024–333 (11) 173

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन, बिहार

पटना, दिनांक– 18 / 06 / 2024

विषय :–वर्ष–2024 के संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी की रोकथाम के तैयारियों हेतु अनुदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आप अवगत है कि राज्य में हर वर्ष मानसून अवधि के दौरान कई जिलों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। राज्य के बाढ़ प्रवण जिलों में 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिलों की श्रेणी में आते है साथ ही कई अन्य जिले भी बाढ़ से प्रभावित होती है। इन अति बाढ़ प्रवण जिलों एवं बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ से जान–माल की क्षति के अलावे कई तरह की जल जनित बीमारियाँ भी फैलती हैं जो महामारी का रूप ले सकती है। इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जायें जिससे कि बीमारियों का फैलाव नहीं हो एवं यदि हो जाय तो उसका समुचित उपचार एवं नियंत्रण किया जा सके।

2. बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित बीमारियों की समस्या से निपटने हेतु बाढ़ प्रवण जिलों के साथ–साथ गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाढ़ आपदा तैयारी के अपेक्षित बिन्दु निम्नांकित हैं :–

(क) सामान्य:–

1. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी रोकथाम समिति गठित है, जिसमें उप विकास आयुक्त/ आरक्षी अधीक्षक/ सिविल सर्जन/ आपूर्ति विभाग/ जिला आपदा प्रबंधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं।
2. यह समिति अपने जिले में बाढ़/जल–जमाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के संभावित क्षेत्रों का पूर्व के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेगी एवं वहाँ पर त्वरित तरीके से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करेगी तथा इसके लिए प्रचार–प्रसार के माध्यम का भी इस्तेमाल करेगी।

(ख) बाढ़ पूर्व तैयारियों का अभ्यास :–

बाढ़ तैयारी के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों/गैर सरकारी संगठनों के साथ Mock Exercise / Mock drill का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाय।

(ग) निरोधात्मक :-

शुद्व पेयजल आपूर्तिः–

1. ऐसे सभी पेयजल श्रोतों की पहचान मॉनसून पूर्व (माह मई–जून) में कर ली जाय जिसे जनसाधरण व्यवहार में लाते हो। इस हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी/कर्मी की सहायता प्राप्त की जा सकती हैं।

2. पेयजल श्रोत बाढ़ के पानी/जल–जमाव से प्रभावित होते हैं, अतः उस क्षेत्र के पीने के पानी का शुद्धिकरण, छोटे श्रोतों के लिए क्लोरीन टिकिया (हैलोजेन टिकिया) एवं बड़े श्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से किया जाए।

3. विगत वर्षों के अनुभव से बाढ़ के पश्चात् जल–जमाव की स्थिति में मच्छरों के प्रकोप बढ़ने से डेंगू/मलेरिया/ कालाजार इत्यादि महामारी का फैलाव बहुत तेजी से होती है। जिससे काफी संख्या में जनसमूह के अक्रान्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जिला मलेरिया पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रभावित क्षेत्रों में डी0डी0टी0 का छिड़काव एवं फॉगिंग कार्य सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में सतत् निगरानी हेतु तैनात रखेंगे।

4. जिला/प्रखंड के स्वच्छता निरीक्षक पेयजल की गुणवता बनाए रखने के लिए पानी के नमूनों का संग्रह करेंगें तथा उसकी जाँच सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से प्रमण्डलीय प्रयोगशाला/चिकित्सा महाविद्यालय अथवा लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में करायेंगे।

5. पेयजल संकट से निबटने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत "पेय जलसंकट हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया" में वर्णित निर्देशो का भी अनुपालन किया जा सकेगा। जो आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के वेवसाईट–www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) चिकित्सा दलों का गठन :-

1. जिला स्तर/प्रखंड स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा दलों का (चलन्त/स्थायी/अस्थायी) गठन होगा जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/परिचारिका/पारा मेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी रहेंगें जो सिविल सर्जन के द्वारा नामित किए जायेंगे तथा चिकित्सा दल को प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर सिविल सर्जन द्वारा भेजें जायेंगे।

2. बाढ़ के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों मे जल–जनित रोग से काफी जनसंख्या ग्रसित होती है जिसमें अतिसार से ग्रसित व्यक्तियों के समय पर उपचार न होने से मृत्यु भी हो जाती हैं। प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनसाधारण को यह अवगत कराया जाय कि ये प्रभावित क्षेत्रों की सूचना, चौकीदार/पंचायत के सदस्य/स्वास्थ्यकर्मी/सिविल सर्जन/स्थानीय थाना/आरक्षी अधीक्षक/जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सिविल सर्जन तथा उस क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि चिकित्सा दल तुरंत प्रभावित स्थल पर भेजेंगे एवं महामारी नियंत्रण करेंगे।

दवाओं की उपलब्धता :–

1. विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर बाढ़/महामारी से निपटने हेतु जिला से प्रखंड स्तर तक दवाओं की उपलब्धता का आकलन कर तैयारी सुनिश्चित कर ली जाय।

2. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों यथा डायरिया आदि की रोकथाम हेतु ओ0 आर0 एस0 एवं एन्टीडायरियल संबंधित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर लें इन दवाओं के अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टेबलेट, ए0एस0भी0एस0 (ASVS) एवं ए0आर0भी0 (ARV) का भंडारण सुनिश्चित कर लेंगे। ये सभी Essential Drugs में शामिल है। इन सभी दवाओं के लिए ससमय अधियाचना BMSICL, जो दवा क्रय हेतु नोडल एजेंसी है, को भेज दी जाए और जिन दवाओं की आपूर्ति BMSICL द्वारा नहीं की जा सकती हो, उन्हें स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर भंडारित करना सुनिश्चित करें। बाढ़ के पूर्व आवश्यक दवाओं की मात्राओं का आकलन करते हुए दवाओं का क्रय दवा ईकाई मद/NHM की निधि में उपलब्ध आवंटन से करेंगे। प्राप्त दवाओं को यथा शीघ्र सभी अस्पतालों सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

3. बाढ़ के समय/बाढ़ के पश्चात कुत्ता एवं सियार काटने की घटनायें होती रहती है। यह अनुभव रहा है कि स्थानीय स्तर पर कुत्ता/सियार काटने की उपचारात्मक दवा उपलब्ध नहीं रहने/कमी के कारण कठिनाई होती है। अतः एन्टीरेबीज दवा भी नियमानुसार, आवश्यकता का आकलन कर भंडारण कर ली जाय।

(छ) उपचारात्मकः–

1. सर्पदंश से आक्रान्तों की मृत्यु समय से उपचार न होने पर हो सकती है। जल–जमाव/बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जमीन के छिद्र में पानी प्रवेश कर जाने से साँप बाहर आ जाते है जिससे सर्पदंश की घटनाएँ बढ़ जाती है, इसलिए सुनिश्चित कर लें कि सभी अस्पतालों में ए0एस0भी0एस0 की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। लेकिन सभी सर्पदंश घातक नहीं होते हैं, अतः चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्पदंश की दवाईयों का उपयोग वे आवश्यकतानुसार करेंगे।

2. नवजात शिशुओं के लिए नियमित टीकाकरण भी बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे एवं गर्भवती महिलाओं की पहचान पूर्व से ही कर ली जाय एवं इसके लिए डिलिवरी कीट एवं मैटरनिटी हट की व्यवस्था पूर्व में हीं कर लेंगे।

3. पूर्व के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा कुपोषण केन्द्र, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, सेनेटरी किट इत्यादि के सम्बन्ध मे भी विशेष रूप से योजना बना लिया जाय।

(ज) अस्थाई अस्पताल एवं नौका औषधालय की व्यवस्थाः–

1. जिन क्षेत्रों में महामारी फैल गई है और प्रभावितों की संख्या ज्यादा है, वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वा0 उप केन्द्र, स्कूल, पंचायत भवन आदि में अस्थायी अस्पताल खोला जायेगा। वहाँ पर यह अस्थायी अस्पताल तबतक चलते रहेंगे जबतक महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है और वहाँ पर सभी कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत रहेंगे ।

170

2. उन क्षेत्रों में जहाँ पर गाँव/कस्बा, जल जमाव या बाढ़ से घिर जाते हैं, सड़क सम्पर्क टूट जाता है, उन प्रभावित क्षेत्रों में जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नौका पर औषधालय खोला जायेगा और यह प्रभावित क्षेत्रों मे भ्रमण करेगा। नौका पर औषधालय जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी, ए0एन0एम0 और पारा मेडिकल कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवा एवं सामग्री की व्यवस्था रहेगी, जिसे सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा। दवा और सामग्री की कमी होने पर एक दिन पहले नौका औषधालय के चिकित्सा पदाधिकारी दवा और सामग्री की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पताल से अनुरोध कर प्राप्त कर लेंगे। संबंधित जिला पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि नौका पर औषधालय हेतु नाव एवं नाविक उपलब्ध करायेंगे।

(झ) <u>प्रशासनिक व्यवस्थाः—</u>

1. जिलाधिकारी को विभिन्न श्रोतों से महामारी के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, उन सूचनाओं पर सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि गठित चिकित्सा दल को उस स्थान पर आवश्यक उपचार हेतु भेजेंगे।

2. महामारी की रोकथाम तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार आदि के लिये जिलाधिकारी/सिविल सर्जन किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी को अप्रभावित जगहों से हटा कर प्रभावित जगहों पर महामारी की रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। ऐसे प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्यकर्मी तबतक प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहेंगे जबतक कि महामारी पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है।

3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मचारी को बाढ़ के समय अवकाश देय नहीं होगा, यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह अवकाश की स्वीकृति सिविल सर्जन के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे। बाढ़ के समय में कोई चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थित रहेंगे तो यह गम्भीर कदाचार माना जाएगा एवं उन पर इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।

4. जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन को यह अधिकार दिया जाता है कि महामारी की रोक—थाम एवं नियंत्रण करने में यदि अतिरिक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता हो, तो वे चिकित्सा महाविद्यालयों से कनीय चिकित्सक/स्नातकोत्तर के चिकित्सक तथा पारा मेडिकल एवं स्वास्थ्य कर्मी की सेवाएँ अधीक्षक/प्राचार्य से प्राप्त कर सकते हैं और वे महामारी खत्म होनें तक सिविल सर्जन के अधीन प्रतिनियुक्त माने जायेंगे।

5. चिकित्सा संस्थान/सभी चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल में चलन्त पैथोलॉजिकल दल गठित की जायगी जो निकटवर्ती जिलों में बाढ़ के समय महामारी उद्भेदन के स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करेगी। विशेष परिरिथति में राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान, (RMRIMS) अगमकुआँ, पटना से भी संबंधित पदाधिकारी सम्पर्क बनाये रखेंगे।

...के अनुमान के आधार पर दवाओं एवं उपकरणों को सुरक्षित रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे, जिससे मौत से बचा जा सके।

अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण:-

1. क्षेत्रीय अपर निदेशक/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महामारी के समय में प्रभावित क्षेत्रों का सघन भ्रमण एवं स्वास्थ्य संबंधी किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा करते रहेंगे और इसके नियंत्रण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी से सहयोग प्राप्त करेंगे।

2. प्रत्येक जिला में बाढ़ की अवधि तक जिलाधिकारी के अधीनस्थ एक बाढ़ नियंत्रण अनुश्रवण कोषांग का गठन होना है। उसी प्रकार सिविल सर्जन के अधीन भी बाढ़ की अवधि तक अनुश्रवण कोषांग का गठन होगा, जिसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी पाली के अनुसार कार्यरत रहेंगे।

3. महामारी/बीमारी से प्रभावितों की संख्या/ कुल मृतकों की संख्या एवं दवाओं/उपकरणों की उपलब्धता आदि की सूचना विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी/ स्वास्थ्य निदेशालय/राज्य स्वास्थ्य समिति को दूरभाष/ ई-मेल/फैक्स से संसूचित किया जाएगा। जल जमाव/बाढ़ के समय होने वाले बीमारियों के बारे में इस निर्देशिका के साथ संलग्न प्रपत्र फार्म 'ए', फार्म 'बी' एवं फार्म 'सी' में वर्णित विवरणी के अनुसार संकलन कर प्रतिवेदन अनुश्रवण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे साथ ही दैनिक अद्यतन स्थिति की सूचना आपातकाल को ई-मेल ssosbihar@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. बाढ़ के समय स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अस्पताल भवन/उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस संदर्भ में सम्बंधित सिविल सर्जन की यह जिम्मेवारी होगी कि वे इसकी समीक्षोपरांत आकलन करायेंगे कि भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण कितनी क्षति हुई एवं उसके जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। साथ ही सिविल सर्जन सम्बंधित कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमंडल से प्राक्कलन बनवाकर विभाग को भेजेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत **"बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया"** में वर्णित निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ठ) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्तर पर :-

1. किसी भी तरह की सूचना या मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना में स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष के **टौल फ्री दूरभाष** संख्या-'104' से सम्पर्क स्थापित किया जाए तथा ई मेल आई०डी० ssobihar@gmail.com पर सूचना भेजी जा सकती है।

168

2. राज्य IDSP पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार /राज्य के जिलों से महामारी के समय में प्रभावितों/मृतकों की संख्या/दवा एवं सामग्री की अद्यतन स्थिति प्राप्त करेंगे एवं जिलों से सतत् सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे साथ ही विभाग स्तर पर अवस्थित आपदा प्रबंधन कोषांग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगें। इस कोषांग का दायित्व होगा कि प्राप्त प्रतिवेदन से अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार को प्रतिवेदन सर्मपित करेंगें।

3. निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार वे सभी निर्णय लेंगे, जो बाढ़ से उत्पन्न महामारी के रोक–थाम के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–11 / आ०प्र०(विविध)–01 / 2024–333 (11) / स्वा0,पटना, दिनांक– 18·06·2024

प्रतिलिपिः– सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निदेशक,राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान (RMRIMS) अगमकुआँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्राचार्य /अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/अपर निदेशक–सह–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, (मलेरिया/कालाजार) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं कार्या थप्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट पर निर्गत अनुदेश अपलोड करने एवं संबंधित कोई–मेल द्वारा प्रेषण करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–333 पटना, दिनांक : 18·06·2024

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंत भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
ब्लॉक–सी, सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ, पटना–800023
दूरभाष: 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–01 / प्रा0आ0(बाढ़)–04 / 2024 / ....848.... / आ0प्र0, पटना–23 दिनांक– 20/03/24

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः संभावित बाढ़ 2024 की पूर्व तैयारियों के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि प्रायः प्रत्येक वर्ष मॉनसून अवधि के दौरान राज्य के कई जिलों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। राज्य के बाढ़ प्रवण जिलों में 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिला की श्रेणी में आते हैं। कतिपय जिले बाढ़ प्रवण जिला के रूप में चिन्हित नहीं हैं परन्तु बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। इन जिलों में बाढ़ आने का मुख्य कारण स्थानीय नदियों यथा पुनपुन, फल्गू, कर्मनाशा एवं सोन इत्यादि नदी के जलस्तर का बढ़ जाना है।

अतः बाढ़ प्रवण जिलों के साथ–साथ गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी बाढ़ पूर्व की जाने वाली तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व में सभी जिलों को बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए **मानक संचालन प्रक्रिया 2023 (Standard Operating Procedure)** की प्रति भेजी गई है, जिसमें अद्यतन आदेशों, परिपत्रों, अनुदेशों आदि का संकलन किया गया है। पुराने परिपत्र के स्थान पर समय–समय पर विभाग से अद्यतन परिपत्र निर्गत किये जाते रहे हैं। बाढ़ आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी अद्यतन परिपत्रों को विभागीय वेबसाईट http://state.bihar.gov.in/disastermgmt/CitizenHome.html पर अपलोड करते हुए **"Circular"** के अन्तर्गत रखा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया एवं नए अद्यतन परिपत्रों के आलोक में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ की जानी हैं। साथ ही, बाढ़ आने की दशा में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ आपदा से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने हैं। यदि हमारी तैयारियाँ (Preparation) ससमय पूर्ण हो जाएँगी तो बाढ़ आपदा का मुकाबला हम सक्षमता एवं प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

बाढ़ पूर्व तैयारियों के लिए उठाए जाने वाले कदम निम्नानुसार होंगे :–

1. <u>वर्षा मापक यंत्रः</u>

वर्तमान में बिहार राज्य के सभी प्रखण्डों में साधारण वर्षामापी यंत्र कार्यरत हैं। साथ ही, राज्य के सभी प्रखण्डों में बिहार मौसम सेवा केन्द्र के द्वारा AWS (Automatic Weather Station) अधिष्ठापित किया गया है और वे भी कार्यरत हैं। वर्षा मापक यंत्रों की आवश्यकतानुसार मरम्मति कर उन्हें चालू हालत में रखा जाए। वर्षा मापक यंत्रों की रीडिंग हेतु प्रत्येक प्रखंड में 2 प्रशिक्षित कर्मियों को दायित्व दिया जाए। साथ ही, वर्षापात आँकड़ों के त्वरित प्रेषण की व्यवस्था भी की जाए।

2. **संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचानः**

बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की अद्यतन पहचान कर ली जाए। इस कार्य हेतु विगत वर्षों में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्ति समूहों के आँकड़ों का उपयोग किया जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निराश्रितों, दिव्यांगों, बीमार व्यक्तियों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं की सूची विशेष रूप से तैयार की जाए।

3. **तटबंधों की सुरक्षाः**

जिला अन्तर्गत तटबंधों का निरीक्षण कर संवेदनशील स्थलों पर तटबंधों के सुदृढ़ीकरण/मरम्मति की कार्रवाई की जाए। इस क्रम में जल संसाधन विभाग से सतत् सर्म्पक रखा जाए।

जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों से तटबंधों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लें एवं जहाँ सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक हो, मॉनसून आने के पूर्व तक अवश्य करा लें। जल संसाधन विभाग से यह भी अनुरोध है कि आवश्यकतानुसार चिन्हित बिन्दुओं पर खाली बोरे, लोहे के जाल एवं बालू की व्यवस्था रखें ताकि तटबंध सुरक्षा का कार्य आवश्यकता पड़ने पर तुरंत शुरू किया जा सके।

नदियों में उफान आने के दौरान तटबंधों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कर लिया जाए। जल संसाधन एवं अन्य विभाग के कनीय अभियंताओं के साथ पेट्रोलिंग टीम बनायी जा सकती है। पेट्रोलिंग टीम का यह दायित्व रहेगा कि किसी भी बिन्दु पर कटाव होने की सूचना प्रखंड/जिला प्रशासन तथा जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को तुरंत दें। ग्रामीणों के द्वारा कतिपय स्थलों पर तटबंध काट दिए जाने की भी आंशका बनी रहती है। पेट्रोलिंग पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार का कोई प्रयास सफल न हो। इसके लिए लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता होगी।

4. **सूचना व्यवस्थाः**

जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह व्यवस्था कर ली जाए कि जिलान्तर्गत बहने वाली नदियों के विभिन्न स्थलों पर जल स्तर की सूचना वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रतिदिन प्राप्त हो। इसके लिए पुलिस वायरलेस/whatsapp/Email आदि का उपयोग किया जा सकता है। संबंधित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षापात की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी उपलब्ध कराएँगे। यह सुनिश्चित कर लें कि जिला प्रशासन के क्षेत्रीय कर्मचारियों (जनसेवक, कर्मचारी, पंचायतसेवक आदि) के माध्यम से प्रखंड एवं अंचल को तथा उनसे आपको किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना तुरंत प्राप्त हो। जिला स्तर पर ऐसी संचार योजनाएँ बनायी जायें जिससे कि क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और मोटरबोट चालकों के साथ लगातार व्यवधान रहित सम्पर्क में रहें।

5. **नावः**

बाढ़ के दौरान आबादी निष्क्रमण, राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन तथा आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से देशी नावों की पर्याप्त आवश्यकता पड़ती है। अतः जिला में उपलब्ध सभी सरकारी देशी नावों की गहनी/मरम्मति करवा कर उन्हें परिचालन योग्य बनाया जाए। साथ ही, बाढ़ के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में निजी देशी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। निजी देशी नावों के संबंध में विभागीय पत्रांक–2001/आ०प्र० दिनांक–18.05.2020 एवं पत्रांक–2428/आ०प्र० दिनांक–27.06.2020 के अनुरूप 31 मई के पूर्व तक आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाए। नावों के परिनियोजन हेतु आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाए। नाव मालिकों के साथ एकरारनामा की ससमय कार्रवाई की जाए।

निजी नावों के भाड़े एवं नाविकों के मजदूरी का पूर्व का भुगतान यदि लंबित हो तो उसका भुगतान अतिशीघ्र सुनिश्चित कर लें।

6. **चना, सत्तू, चूड़ा, गुड़, नमक, खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्थाः**

बाजार में चना, चूड़ा, गुड़, सत्तू, नमक आदि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का जायजा करा लें तथा rate contract करा लें, ताकि आवश्यकता एवं समयानुसार उपलब्धता में विलंब न हो। संभावित बाढ़ राहत सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा आदि के संबंध में विभागीय पत्रांक–1504 दिनांक–01.09.2005 के द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। साथ ही, राहत पैकेट तैयार करने हेतु टीमों का गठन भी कर लिया जाए तथा आवश्यक स्थल चिन्हित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए।

बाढ़ राहत सामग्रियों का निविदा के माध्यम से दर निर्धारण एवं आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन 15 मई, 2024 तक निश्चित रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

7. **पॉलीथीन शीट्सः**

आवश्यकतानुसार विस्थापितों के लिए पॉलीथीन शीट्स का आकलन यथाशीघ्र सुनिश्चित कर लें एवं किए गए आकलन के अनुसार यदि पॉलीथीन शीट्स की आवश्यकता हो तो अपने नोडल जिले से पॉलीथीन शीट्स की अधियाचना कर ली जाए। विभागीय पत्रांक–1155 दिनांक–20.04.2018 के द्वारा पालीथीन शीट्स के क्रय एवं भंडारण के संबंध में निदेश दिए गए हैं। नोडल जिलों द्वारा निविदा के माध्यम से दर निर्धारण एवं आपूर्तिकर्त्ता का चयन 31 मई, 2024 तक पूर्ण करा लिया जाए। गुणवत्तापूर्ण पॉलीथीन का क्रय ही सुनिश्चित हो तथा भण्डार रजिस्टर एवं स्टाक का सत्यापन किया जाए।

8. **बाढ़ आश्रय स्थल/बाढ़ शरण स्थलः**

शरण स्थल ऊँचे स्थानों पर स्थित स्कूल भवन, पंचायत भवन अथवा अन्य ऊँची भूमि आदि हो सकते हैं। बाढ़ आने के पूर्व ऊँचे शरण स्थलों की पहचान बहुत महत्त्वपूर्ण है। संभावित शरण स्थलों की पहचान और उनके प्रबंधन की विशेष योजना पूर्व से बना ली जाए। वहाँ Toilet, पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था का भी जायजा ले लें।

156

जिन जिलों में बाढ़ आश्रय स्थल अवस्थित हैं। उन बाढ़ आश्रय स्थलों के प्रबंधन की भी विशेष योजना तैयार कर ली जाए एवं सभी आवश्यक व्यवस्था यथा Toilet, पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए।

बाढ़ आश्रय स्थल/बाढ़ शरण स्थलों पर आने वाले बाढ़ प्रभावितों के पंजीकरण/निबंधन हेतु प्रत्येक शरण स्थल पर एक रजिस्ट्रेशन काउन्टर की व्यवस्था हो, जो रजिस्ट्रेशन-सह-नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। रजिस्ट्रेशन-सह-नियंत्रण कक्ष में **ध्वनि-विस्तारक यंत्र** (PA System) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बाढ़ आश्रय स्थल/शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में अलग-अलग शौचालय, मेडिकल कैम्प, संचार, प्रकाश एवं साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था, नवजात शिशुओं के टीकाकरण, प्रसव की व्यवस्था, भोजन बनाने के उपस्कर एवं स्थल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, टेन्ट, मच्छरदानी, 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष भोजन, सैनेटरी किट जैसे महत्वपूर्ण एवं मानवीय बिन्दुओं पर विशेष रूप से योजनाएँ बना ली जाएँ। अत्यन्त बाढ़ प्रवण जिलों में **मेगा शिविर** लगाने हेतु स्थानों का चयन पूर्व से कर लिया जाए, ताकि आकस्मिकता के समय इसे व्यवहृत किया जा सके।

विभागीय पत्रांक-3145 दिनांक 23.08.2016, पत्रांक-3174 दिनांक-24.08.2016, पत्रांक-3177 दिनांक 24.08.2016, पत्रांक-3187 दिनांक-25.08.2016, पत्रांक 3190 दिनांक-25.08.2016 पत्रांक-3201 दिनांक-26.08.2016, पत्रांक-3226 दिनांक-27.08.2016, पत्रांक-3232 दिनांक-28.08.2016 एवं पत्रांक-2667 दिनांक-30.06.2023 तथा समय-समय पर यथा संशोधित पत्रों के द्वारा राहत केन्द्र के संचालन के संबंध में आवश्यक निदेश प्रेषित हैं, जो विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं।

9. सामुदायिक रसोई (Community Kitchen):

प्रायः यह देखा गया है कि बाढ़ आने पर प्रभावित परिवार तटबंधों पर अथवा सड़कों के किनारे शरण लेते हैं। वैसी जगहों पर समुदायिक रसोई (Community Kitchen) का संचालन करने हेतु शरण स्थलों को पूर्व से ही चिन्हित कर लें। बाँध पर अथवा सड़क के किनारे जहाँ लोग अमूमन शरण लेते हैं, वहाँ पूर्व से आवश्यक तैयारी रहनी चाहिए। समुदायिक रसोई (Community Kitchen) के आवश्यक कर्मी को भी चिन्हित कर लें।

विभागीय पत्रांक-3188 दिनांक-25.08.2016, पत्रांक-2368 दिनांक-15.08.2017 एवं पत्रांक-2112 दिनांक-14.07.2019 तथा समय-समय पर यथा संशोधित पत्रों के द्वारा सामुदायिक रसोई के संचालन के संबंध में आवश्यक निदेश प्रेषित हैं, जो विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं।

10. मानव दवा की व्यवस्था:

जिला पदाधिकारी सिविल सर्जन के परामर्श से आवश्यक दवाओं का आकलन एवं भंडारण सुनिश्चित कर लें। बाढ़ आने की दशा में विभिन्न जल जनित बीमारियों के प्रकोप की संभावना रहती है। अतः जिला अस्पतालों/अनुमंडल एवं रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा उपकेन्द्रों पर सर्पदंश की दवाएँ, क्लोरिन टैबलेट, ओ0आर0एस0 घोल के पैकेट, हैलोजन टैबलेट, एन्टीरेबीज की सूईयाँ, एन्टीबायोटिक दवाएँ, ब्लीचिंग पाउडर आदि का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाए।

11. मोबाईल मेडिकल टीम एवं मेडिकल कैम्पः

यथासम्भव सभी शरण स्थल पर मेडिकल कैम्प के लिए आवश्यक चिकित्सक/पारामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराए जाएँ। बड़े शरण स्थलों के लिए मेडिकल कैम्प लगाएँ तथा शेष शरण स्थलों के लिए मोबाईल मेडिकल टीम गठित करें। प्रत्येक मोबाईल टीम के साथ दो या तीन शरण स्थल सम्बद्ध रहेंगे। सम्बद्ध शरण स्थलों पर मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति निर्धारित समय से पूर्व ही कर ली जाए।

12. पशु चारा एवं पशु दवा की व्यवस्थाः

बरसात के दौरान/बाढ़ के समय पशु–संसाधन विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। चयनित शरण स्थलों के निकट पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ के दौरान सत्यापन कर यह सुनिश्चित कर लें कि यह शिविर कार्यरत है। पशु चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के परामर्श से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। बाढ़ प्रवण जिलों में पशु आश्रय स्थल के साथ–साथ पशु–चारा की उपलब्धता एवं आवश्यकता का आकलन पूर्व से कर ली जाए।

13. शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाः

बाढ़ प्रभावित गाँवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु चापाकल को ऊँचे स्थानों पर गाड़ने की व्यवस्था तथा पेयजल के परिवहन आदि से संबंधित व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए। पेयजल की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में क्लोरिन टेबलेट की व्यवस्था कर ली जाए एवं बाढ़ प्रवण पंचायतों में इन टेबलेट्स के उपयोग का प्रशिक्षण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से समय–पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाए।

14. जेनरेटर सेट/पेट्रोमैक्स/महाजाल की व्यवस्थाः

जेनरेटर सेट, पेट्रोमैक्स, टेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियाँ इत्यादि की उपलब्धता का विशेष रूप से मानचित्रण किया जाए एवं इनके आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची बनाकर भाड़े का निर्धारण कर लिया जाए। जिलों को महाजाल क्रय करने का निदेश पूर्व में दिया गया है। जहाँ महाजाल का क्रय अबतक नहीं हो सका हो वहाँ महाजाल का क्रय ससमय कर लिया जाए। अधियाचना प्राप्त होने पर महाजाल के लिए राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

15. सड़कों की मरम्मतिः

बाढ़ के पूर्व जिले की मुख्य सड़कों, विशेषकर जिला मुख्यालय से प्रखंड/अंचलों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मति करा ली जाए। पुल–पुलियों की भी मरम्मति करके उन्हें यातायात के लिए सुगम बना लिया जाए।

16. नाव/लाईफ जैकेट/मोटरबोट के परिनियोजन की आकस्मिक व्यवस्थाः

बाढ़ के समय जिले के किसी भी स्थान पर किसी भी समय लोगों को बचाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः नाव, लाईफ जैकेट, मोटरबोट आदि के परिनियोजन हेतु एक आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों में गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को मोटरबोट परिचालन में प्रशिक्षित

किया गया है एवं उन्हें आपदा राहत एवं बचाव दल का किट भी उपलब्ध कराया गया है। अतः जिलों में मोटरबोट परिचालन में प्रशिक्षित गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की प्रतिनियुक्ति हेतु भी योजना तैयार कर ली जाए। सभी लाईफ जैकेट की जाँच (check) कर ली जाए।

17. नोडल पदाधिकारी/जिलास्तरीय टास्क फोर्सः

बाढ़ पूर्व तैयारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उपलब्ध मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। नोडल पदाधिकारियों का नामांकन, उनका प्रशिक्षण, प्रखण्ड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर इनकी प्रतिनियुक्ति, क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, मोटरबोट चालकों आदि की प्रतिनियुक्ति 31 मई से पूर्व कर ली जाए। मानव संसाधनों का समन्वय इनके सर्वोत्तम उपयोग के लिए आवश्यक है। जिलास्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ से जुड़े सभी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारियों का टास्क फोर्स गठित कर लिया जाए। इस टास्क फोर्स द्वारा समय-समय पर बैठक कर विभिन्न विभागों द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जाए।

18. जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र-सह-नियंत्रण कक्षः

राज्य स्तर के अनुरूप ही जिला स्तर पर भी निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support System) एवं अन्य संचार माध्यमों से लैस स्थायी जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र-सह-नियंत्रण कक्ष (DEOC) की स्थापना की गई है। बाढ़ के पूर्व जिले में उपलब्ध खोज एवं बचाव यंत्रो की सूची तैयार कर उक्त नियंत्रण कक्ष में रखी जाए। नियंत्रण कक्ष में टॉल फ्री दूरभाष/टेलीफोन/Computer/Broadband की व्यवस्था की जाए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों से आम जनता से शीघ्र सूचना प्राप्त की जा सके। किसी वरीय पदाधिकारी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बना दिया जाए। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (DEOC) हमेशा राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC) के संपर्क में रहेंगे। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (DEOC) को 24X7 पैटर्न पर संचालित करने की व्यवस्था की जाए।

19. गोताखोरों का प्रशिक्षणः

बाढ़ आपदा एवं नाव दुर्घटना के समय लोगों को डूबने से बचाने एवं डूबे हुए व्यक्तियों के शव बरामद करने हेतु गोताखोरों को प्रशिक्षित किया गया है एवं इन्हें राहत-बचाव संबंधी किट भी उपलब्ध कराई गई है। इन प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची मोबाईल/दूरभाष नम्बर के साथ जिले के नियंत्रण कक्ष (DEOC) में संधारित कर रखी जाए एवं आवश्यकतानुरूप इनका उपयोग किया जाए। गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित गृह रक्षकों एवं समुदाय के चयनित व्यक्तियों का बाढ़ के दौरान खोज, बचाव एवं राहत कार्यों में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक उपयोग किये जाने एवं दैनिक मजदूरी मानदेय/भत्ता संबंधी निदेश विभागीय पत्रांक-1638, दिनांक-20.06.2018 एवं पत्रांक 4400 दिनांक-26.12.2011 के द्वारा आपको प्रेषित हैं तथा विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं।

20. समुदाय का प्रशिक्षण:

किसी भी आपदा के समय स्थानीय समुदाय ही पहला रेस्पोंडर होता है। बाढ़ के दौरान समुदाय के लोगों को राहत एवं बचाव कार्यों के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाने हेतु क्षमतावर्द्धन (Capacity Building) योजना के तहत प्रत्येक बाढ़ प्रवण जिलों के बाढ़ प्रवण प्रखण्डों में पंचायतों से तथा विशेष रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति टोलों से अनुसूचित जाति के युवकों का चयन कर इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। समुदाय के इन प्रशिक्षित लोगों का उपयोग बाढ़ के दौरान आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव दल के रूप में किया जाए।

21. राहत एवं बचाव दल का गठन:

बाढ़ प्रवण प्रखण्डो के पंचायतों में यथानुसार समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रखंड/अंचल के कर्मियों, प्राथमिक उपचार में दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, होमगार्डो, नागरिक सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस के जवानों को मिलाकर बाढ़ आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु **"राहत एवं बचाव दल"** गठित किया जाए एवं उनकी विस्तृत सूचना जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (DEOC) में संधारित की जाए।

22. तैयारियों का अभ्यास:

बाढ़ तैयारी के संबंध में स्वयंसेवकों/क्षेत्रीय कर्मचारियों/गैर सरकारी संगठनों के साथ Mock Exercise/Mockdrill का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाए।

23. बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची का अद्यतनीकरण:

राज्य में बाढ़ पीड़ित परिवारों को आनुग्रहिक राहत (Grattutious Relief) का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। राशि के हस्तांतरण हेतु परिवार के मुखिया का नाम पूर्ण विवरणी के साथ NIC के आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर प्रविष्टि की जाए। पूर्व से तैयार सभी परिवारों की सूची को अद्यतन कर ली जाए एवं आवश्यकतानुसार आवश्यक संशोधन भी कर लिया जाए। इस संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश समय–समय पर दिए जाते रहे हैं।

24. बाढ़ पीड़ितों हेतु राशि के व्यय पर निगरानी:

बाढ़ पीड़ितों हेतु विभाग द्वारा विभिन्न मदों में राशि आवंटित की जाती है। उक्त राशि का सदुपयोग ससमय बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा व्यय किया जा रहा अथवा नहीं, इसके संबंध में लगातार निगरानी रखी जाए।

25. उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) एवं DC विपत्रों का समायोजन:

जिलों में पूर्व से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि एवं AC विपत्रों पर निकासी की गई राशि का DC विपत्रो के समायोजन सुनिश्चित की जाए। साथ ही, बाढ़ राहत हेतु वर्तमान में आवंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched विपत्रों पर की जाए, AC विपत्रों के माध्यम से न की जाए।

26. आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण:

कृषि विभाग द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना बना ली जाए। इस योजना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल/बिचड़ों की क्षति होने पर बिचड़े उपलब्ध कराने एवं वैकल्पिक फसल उगाने की योजना शामिल होगी।

152

जिला स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए शीघ्र एक बैठक आयोजित की जाए तथा तैयारी के संबंध में कृत कार्रवाई से विभाग को साप्ताहिक update उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा विभाग द्वारा यथासमय विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग एवं प्रमण्डलीय स्तर पर बैठकों के माध्यम से की जाएगी।

आशा है सभी जिले इस वर्ष के संभावित बाढ़ से निपटने हेतु पूरी तैयारी ससमय कर लेंगे ताकि जन सामान्य को बाढ़ आपदा से राहत पहुँचाने में हमलोग सफल हो सकें।

नोटः— 1. बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में उठाए जाने वाले उपरांकित कदम उदाहरणस्वरूप (illustrative) हैं, परिपूर्ण (exhaustive) नहीं। जिला—विशेष अपने जिले में बाढ़ के इतिहास एवं समय—समय पर विभिन्न स्त्रोतों से मानसून एवं नदियों में जलस्तर के संबंध में प्राप्त पूर्वानुमानों को ध्यान में रखकर बाढ़ पूर्व तैयारियाँ सुनिश्चित करेंगे।

2. बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु सभी बाढ़ प्रवण जिलों को अलग से राशि आवंटित की जा रही है।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक—01 / प्रा0आ0(बाढ़)—04 / 2024 / 848 / आ0प्र0 पटना—23, दिनांक— 20/03/24

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने प्रमण्डलों में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ ससमय सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक—01 / प्रा0आ0(बाढ़)—04 / 2024 / 848 / आ0प्र0 पटना—23, दिनांक— 20/03/24

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव—गृह विभाग / समाज कल्याण विभाग / शिक्षा विभाग / पथ निर्माण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / पंचायती राज विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / ऊर्जा विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / जल संसाधन विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / कृषि विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / परिवहन विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / **सचिव**, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / **निदेशक**, सांख्यिकी निदेशालय / बिहार मौसम सेवा केन्द्र / **क्षेत्रीय प्रबंधक**, भारतीय खाद्य निगम / **प्रबंध निदेशक**, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित बाढ़ पूर्व तैयारियाँ ससमय कर ली जाएँ तथा बाढ़ आपदा प्रबंधन की राज्य एवं जिलास्तर पर आकस्मिक योजना शीघ्र तैयार कर ली जाए।

अपर मुख्य सचिव

151

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0(बाढ़)–04 / 2024 / 848 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 20/03/24

प्रतिलिपिः सभी जिलों के प्रभारी सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सम्बद्ध जिलों का भ्रमण कर बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर ली जाए।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0(बाढ़)–04 / 2024 / 848 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–20/03/24

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / पुलिस महानिदेशक / महानिदेशक –सह–नागरिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0(बाढ़)–04 / 2024 / 848 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 20/03/24

प्रतिलिपिः सभी जिलों के प्रभारी मंत्री के आप्त सचिवों को माननीय मंत्रियों के सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0(बाढ़)–04 / 2024 / 848 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 20/03/24

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–01 / प्रा0आ0(बाढ़)–04 / 2024 / 848 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–20/03/24

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव